



// कार्यालय ज्ञाप //

विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2021-22 के द्वितीय अधिसत्र, चतुर्थ अधिसत्र, षष्ठम् अधिसत्र, अष्ठम् अधिसत्र एवं दशम् अधिसत्र में अध्ययनरत् विद्यार्थियों द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में उनके शैक्षणिक भविष्य के दृष्टिगत निर्गत किये गये कार्यालय-ज्ञाप पत्रांक-591/पत्रा0सं0-1467/DSMNRU/शुल्क निर्धारण/2022-23 दिनांक: 08 जून, 2022 को संशोधित करते हुए अध्ययनरत् समस्त विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने पाठ्यक्रम सम्बन्धी समस्त शुल्क (विना विलम्ब शुल्क के) दिनांक 15 जुलाई, 2022 तक अनिवार्य रूप से जमा किया जाना सुनिश्चित करें। साथ-साथ सम्बन्धित विद्यार्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि जिन विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक समस्त शुल्क जमा नहीं किया जाता है, वे आगामी परीक्षाओं में प्रतिभाग नहीं कर पायेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

पत्रांक-868 / पत्रा0सं0-1467/DSMNRU/शुल्क निर्धारण/2021-22 दिनांक: 05 जुलाई, 2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0 कुलपति महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
3. परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
4. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
5. समस्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
6. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. समस्त विभागों में सम्बद्ध पटल सहायक/कम्प्यूटर आपरेटर को निर्देशित किया जाता है कि वे विभाग में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की अधिसत्र/सत्रवार शुल्क प्राप्ति का विवरण तैयार करते हुए उसकी एक-एक प्रति लेखानुभाग/परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा-मोहान रोड को इस आशय से कि विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु जमा किये जाने वाले शुल्क के चालान को विभागीय कार्यालय की अद्यतन पुष्टि के उपरान्त ही सम्बन्धित खाते में जमा करने का कष्ट करें।
9. विश्वविद्यालय के समस्त नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव।